

## प्रेस नोट

### नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दीव की बैठक संपन्न

आज दिनांक 28/05/2019 को अपराह्न 4.00 बजे विवेकानंद सभागार, समाहर्तालय, दीव में श्री हरमिंदर सिंह, प्रभारी जिला समाहर्ता एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दीव की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनवरी से मार्च, 19 तक की तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

बैठक के प्रारंभ में सहायक निदेशक एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दीव ने माननीय समाहर्ता, दीव तथा सभी उपस्थित सदस्यगण का स्वागत किया। तत्पश्चात राजभाषा विभाग, दीव द्वारा प्रशासन के कर्मचारियों के लिए पूर्व में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों को माननीय समाहर्ता व अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कर-कमलों से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैठक में श्री अंतर्र्यामी परिडा ने राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी के प्रयोग हेतु निर्धारित मानदंड के अनुसार अलग-अलग विंदुओं को सिल-सिलेवार अध्यक्ष के समक्ष रखा। प्रशासन के कार्यालयों, बैंको तथा निगमों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्यों पर इस बैठक के अध्यक्ष द्वारा विस्तार से चर्चा की गई।

अध्यक्ष के पद से बोलते हुए समाहर्ता एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दीव ने रिपोर्टों की समीक्षा के उपरान्त सभी कार्यालय प्रमुखों को निदेश दिया कि कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए और हिन्दी पत्राचार व टिप्पणी हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का हरसंभव प्रयास किया जाए। बहुत से कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस में हिन्दी में आ रही कठिनाई को भी बैठक में रखा गया जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि इसमें हिन्दी में काम किया जा सकता है। थोड़ा-थोड़ा प्रयास करें निश्चय ही भविष्य में काम करने में आसानी हो जायेगी। किसी भी परिस्थिति में हिन्दी में काम करने में कठिनाई महसूस होने पर राजभाषा विभाग की सहायता से हिन्दी में काम को बढ़ाया जा सकता है। संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भविष्य में असमंजस परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। इस बैठक में प्रशासन के सभी आला अधिकारी एवं बैंकों तथा निगमों के प्रमुख एवं प्रबंधक मौजूद रहे।